राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 14226/2019

नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, खातीपुरा रोड, जयपुर, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, श्री कुमार बंकटेश के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, इसके सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
2. विद्युत लोकपाल, राजस्थान, विद्युत विनियामक भवन, स्टेट मोटर गैराज के पास, सहकार मार्ग, जयपुर।
3. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर के माध्यम से
4. कार्यकारी अभियंता (ए-प्रथम), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, नाला पावर हाउस, बानी पार्क, जयपुर।

--प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री महेंद्र सिंह
प्रत्यर्थीगण की ओर से	:	सुश्री अनुराधा, वीसी के माध्यम से

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

<u>आदेश</u>

<u>रिपोर्टेबल</u>

आदेश सुरक्षित करने की तिथि	:	16/02/2023
आदेश उच्चारित करने की तिथि	:	30/05/2023

1. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता-उपभोक्ता द्वारा दायर की गई थी, जिसमें विद्युत लोकपाल, राजस्थान (संक्षेप में "ईओ") द्वारा मामला संख्या ईओआर 457/2019 'मैसर्स एनईआई लिमिटेड बनाम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड' शीर्षक से पारित दिनांक 16.07.2019 निर्णय/आदेश का विरोध किया गया था। ईओ के समक्ष मुद्दा यह था कि

क्या डिस्कॉम-जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (संक्षेप में "जेवीवीएनएल") को 'बड़े उद्योगों' की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं से, उनकी अनुबंध मांग के अनुसार वोल्टेज की आपूर्ति के निर्धारित स्तर से कम वोल्टेज पर अनुबंध मांग में वृद्धि की अनुमति देते हुए रूपांतरण हानियां (3% पर) और ट्रांसफार्मर की आनुपातिक लागत वसूलने का प्राधिकार था। संदर्भ के लिए, लोड की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित वोल्टेज स्तर को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

उपभोक्ता की श्रेणी	**सेवाओं की प्रकृति**	
छ) वृहद औद्योगिक (रेलवे संकर्षण को छोड़कर)	**अनुबंध की मांग**	**आपूर्ति की वोल्टेज**
	i) कनेक्टेड लोड 112 किलोवाट (150 एचपी) से ऊपर और/या अनुबंध/ वास्तविक मांग 125 केवीए से ऊपर लेकिन 1500 केवीए तक	i) एचटी 11 केवीए
	ii) अनुबंध/वास्तविक मांग 1500 केवीए से ऊपर लेकिन 5000 केवीए तक है	ii) एचटी 33 केवीए
	iii) अनुबंध/वास्तविक मांग 5000 केवीए से ऊपर	iii) ईएचटी 132 केवी अथवा 220 केवी

"टिप्पणी:

....

(V) निगम किसी उपभोक्ता को असाधारण परिस्थितियों में वोल्टेज स्तर से एक चरण अधिक या कम पर आपूर्ति की अनुमति दे सकता है।

2. माना जाता है कि, याचिकाकर्ता-उपभोक्ता बिजली का एक बड़ा औद्योगिक उपभोक्ता था, जो अनुबंध की मांग के विस्तार के लिए उनके आवेदन को स्वीकार किए जाने के बाद निर्धारित लोड से कम से कम एक चरण कम वोल्टेज की आपूर्ति प्राप्त कर रहा था। चूँकि, आपूर्ति एक स्तर कम थी, जो केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकार्य थी, डिस्कॉम रूपांतरण हानियों और ट्रांसफार्मर की आनुपातिक लागत के रूप में 3% का शुल्क लगा रहा था। उक्त लेवी को याचिकाकर्ता-उपभोक्ता द्वारा चुनौती दी गई थी और ईओ ने दिनांक

16.07.2019 के आक्षेपित पंचाट/आदेश के माध्यम से इसे वैध और कानूनी माना था। ईओ के आक्षेपित पंचाट/आदेश से व्यथित होकर, वर्तमान रिट याचिका दायर की गई थी।

तथ्य

3. इस मामले का एक लंबा इतिहास है और इसमें तथ्यों के कुछ विवादित प्रश्न शामिल हैं। किसी भी अनावश्यक विवरण के बिना, मामले के उचित निर्णय के लिए प्रासंगिक और आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं:

क.) याचिकाकर्ता-उपभोक्ता एक एचटी उपभोक्ता है जिसके पास 9000 केवीए की अनुबंध मांग (संक्षेप में "सीडी") के साथ विद्युत कनेक्शन है और वर्ष 1978 से 11 केवी आपूर्ति वोल्टेज अस्तित्व में था। याचिकाकर्ता ने 06.12.2001 तक 9000 केवीए सीडी का लाभ उठाया था और 07.12.2001 से, याचिकाकर्ता-उपभोक्ता के अनुरोध पर, सीडी को 9000 केवीए से घटाकर 5700 केवीए कर दिया गया।

ख.) 2005 में, 04.05.2005 से, याचिकाकर्ता-उपभोक्ता ने प्रत्यर्थी-डिस्कॉम से सीडी को 7500 केवीए तक बढ़ाने का अनुरोध किया। बार-बार पत्र-व्यवहार किए जाने के बाद, और याचिकाकर्ता-उपभोक्ता द्वारा आवश्यक अवसंरचना को स्थापित करने की इच्छा दिखाने के बाद, याचिकाकर्ता-उपभोक्ता की सीडी को मंजूरी पत्र दिनांक 06.10.2005 द्वारा निर्धारित 132 केवी आपूर्ति वोल्टेज के बजाय 11 केवी आपूर्ति वोल्टेज पर 5700 केवीए से बढ़ाकर 7500 केवीए कर दिया गया।

ग.) इसके बाद, 28.11.2007 को, प्रत्यर्थी-डिस्कॉम द्वारा याचिकाकर्ता-उपभोक्ता को एक पत्र भेजा गया जिसमें आरोप लगाया गया कि 132 केवी स्तर पर कनेक्शन लेने के लिए नया ग्रिड बनाने के लिए याचिकाकर्ता-उपभोक्ता द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता-उपभोक्ता ने दिनांक 28.11.2007 के पत्र का उत्तर दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थी-डिस्कॉम से प्रार्थना की गई कि वे अपने निर्णय का अनुपालन करते रहें और भविष्य में बिना किसी शुल्क उद्ग्रहण या जुर्माने के अपेक्षित वोल्टेज के साथ बिजली की आपूर्ति जारी रखें।

घ.) याचिकाकर्ता-उपभोक्ता ने दिनांक 21.08.2008 के पत्र के माध्यम से सीडी को 7500 केवीए से बढ़ाकर 10000 केवीए करने का फिर से अनुरोध किया। तदनुसार 31.03.2009 को सीडी को इस शर्त पर 7500 केवीए से बढ़ाकर 8000 केवीए कर दिया गया, कि याचिकाकर्ता-उपभोक्ता व्यवहार्यता रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के 18 महीने की अवधि के

भीतर अपेक्षित अवसंरचना का विकास करेगा। प्रत्यर्थी-डिस्कॉम द्वारा मुद्दे की जांच के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया कि जगह की अनुपलब्धता और मार्ग के अधिकार (संक्षेप में "आरओडब्ल्यू") समस्याओं के कारण, याचिकाकर्ता-उपभोक्ता के परिसर तक 132 केवी लाइन खींचना संभव नहीं था। इसलिए, पत्र दिनांक 20.05.2009 के माध्यम से, प्रत्यर्थी-डिस्कॉम ने याचिकाकर्ता-उपभोक्ता को सूचित किया कि मांग की गई सीडी को समायोजित करने के लिए, 132 केवी भूमिगत केबल बिछाई जानी है, जिसके लिए याचिकाकर्ता-उपभोक्ता को रेलवे, सैन्य और अन्य स्थानीय प्राधिकारी से आरओडब्ल्यू प्राप्त करना होगा; या विकल्प में याचिकाकर्ता-उपभोक्ता को 220 केवी जीएसएस के निर्माण के लिए 5000 वर्ग मीटर भूमि प्रदान करनी थी।

ड.) उपरोक्त के जवाब में, याचिकाकर्ता-उपभोक्ता ने दिनांक 05.02.2010 के पत्र के माध्यम से यह कहा कि उनके लिए रेलवे/सैन्य से आवश्यक अनुमति प्राप्त करना संभव नहीं होगा, न ही वह अकेले 132 केवी केबल की लागत वहन कर सकता है, और इस कारण उसने केवल 33 केवी पर सीडी को 8,000 केवीए से बढ़ाकर 10,000 केवीए करने का अनुरोध किया।

च.) अप्रैल 2010 के बिल में, 92530 इकाइयों पर 3% रूपांतरण हानियां प्रभारित की गईं थीं क्योंकि 5000 केवीए से ऊपर सीडी के लिए निर्धारित आपूर्ति वोल्टेज 132 केवी थी, जबकि याचिकाकर्ता-उपभोक्ता को 11 केवी के कम वोल्टेज पर आपूर्ति की अनुमति थी। याचिकाकर्ता-उपभोक्ता ने ऐसे शुल्क लगाए जाने का विरोध किया, हालांकि विरोध के तहत बिल का भुगतान किया। बाद के बिलों में 3% रूपांतरण हानि भी जोड़ी गई और जुलाई 2010 के महीने में, अगस्त 2004 से मार्च 2010 की अवधि के लिए 3% रूपांतरण हानियों के लिए 2,14,83,255 रुपये की राशि का दावा भी किया गया था [जिस तारीख से बिजली की आपूर्ति के लिए नियम और शर्तें-2004 (संक्षेप में "टीसीओएस-2004") लागू हुई थीं]।

छ.) याचिकाकर्ता-उपभोक्ता ने उक्त मांग को एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 10258/2010 में चुनौती दी और अंतरिम आदेश दिनांक 11.08.2010 द्वारा वसूली पर इस शर्त के अधीन रोक लगा दी गई कि याचिकाकर्ता-उपभोक्ता को आक्षेपित मांग का 50% का भुगतान करना होगा और शेष 50% बैंक गारंटी के रूप में रखा जायेगा। हालाँकि, चूँकि 3% रूपांतरण हानि की वसूली पर रोक नहीं लगाई गई थी, प्रत्यर्थी-विभाग ने बाद के सभी

बिलों में उक्त राशि वसूलना जारी रखा और याचिकाकर्ता-कंपनी विरोध के तहत उसका भुगतान करती रही।

ज.) इसके बाद, दिनांक 30.08.2010 के पत्र के माध्यम से, याचिकाकर्ता-उपभोक्ता ने फिर से सीडी को 10,000 केवीए तक बढ़ाने का अनुरोध किया। चूंकि कनेक्शन केवल 33 केवी पर मांगा गया था, इसलिए प्रत्यर्थी-डिस्कॉम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि निगम आदेश संख्या जेपीआर5-404 दिनांक 14.07.2004 में उल्लिखित प्रावधानों/शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। याचिकाकर्ता-उपभोक्ता द्वारा आवश्यक शर्तें पूरी करने के बाद, सीडी को 10.05.2012 को 33 केवी वोल्टेज पर 10,000 केएवी तक बढ़ा दिया गया था और मई, 2012 और उसके बाद के बिल में 3% की दर से रूपांतरण हानियां जोड़ी गईं। प्रत्यर्थी-डिस्कॉम ने आनुपातिक आधार पर ट्रांसफार्मर लागत के लिए 41,97,979/- रुपये की राशि प्रभारित करने के लिए कार्यवाही की। उक्त लेवी को याचिकाकर्ता-उपभोक्ता द्वारा एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 9161/2012 में फिर से चुनौती दी गई थी। हालाँकि, चूंकि कोई अंतरिम आदेश नहीं था, प्रत्यर्थी-डिस्कॉम रूपांतरण हानियों को वसूलता रहा और याचिकाकर्ता-उपभोक्ता विरोध के तहत बिलों का भुगतान करता रहा।

झ.) याचिकाकर्ता-उपभोक्ता ने 02.09.2015 को कॉर्पोरेट स्तर निवारण समिति (संक्षेप में "सीएलआरसी") के समक्ष शिकायत दर्ज की लेकिन सीएलआरसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। फिर याचिकाकर्ता-कंपनी ने विद्युत लोकपाल के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर किया, जिसे ईओआर 369/2016 के रूप में पंजीकृत किया गया था, लेकिन इसे भी दिनांक 25.11.2016 के आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता-कंपनी ने रिट कोर्ट के समक्ष भी इसी तरह की राहत की प्रार्थना की थी।

ञ.) याचिकाकर्ता-कंपनी ने एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 7884/2017 में दिनांक 25.11.2016 के आदेश का विरोध किया। इसके बाद, याचिकाकर्ता-उपभोक्ता द्वारा दायर सभी रिट याचिकाओं को विद्युत अधिनियम, 2003 (संक्षेप में "2003 का अधिनियम") की धारा 42 (5) में उपबंधित किए गए अनुसार निपटान समिति से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ दिनांक 03.08.2018 के आदेश द्वारा निपटाया गया।

ट.) याचिकाकर्ता-कंपनी ने फिर से सीएलआरसी से संपर्क किया और याचिकाकर्ता-कंपनी की प्रार्थना खारिज कर दी गई। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने ईओ से संपर्क किया और ईओ ने भी याचिकाकर्ता-उपभोक्ता के खिलाफ और प्रत्यर्थी-डिस्कॉम के पक्ष में आदेश पारित कर

दिया।

याचिकाकर्ता की दलीलें

4. याचिकाकर्ता-उपभोक्ता के विद्वान अधिवक्ता का प्राथमिक तर्क यह है कि रूपांतरण हानियों का शुल्क और ट्रांसफार्मर की आनुपातिक लागत कानून के प्राधिकार के बिना है। इस तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता-उपभोक्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित प्रस्तुत किए:

4.1) 2003 के अधिनियम के तहत, डिस्कॉम के पास उपभोक्ता से कोई शुल्क उद्ग्रहित करने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि यह आयोग द्वारा निर्धारित न किया गया हो, जो इस मामले में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (संक्षेप में "आरईआरसी") है। यह तर्क दिया गया है कि चूंकि रूपांतरण हानि की वसूली और ट्रांसफार्मर की आनुपातिक लागत को संबंधित अवधि के लिए आरईआरसी द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत नहीं किया गया था, इसलिए कानून के अनुसार, डिस्कॉम किसी भी उपभोक्ता से इतनी राशि की वसूली नहीं कर सकता है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने 2003 के अधिनियम की धारा 45 (शुल्क वसूलने की शक्ति) और धारा 46 (व्यय वसूल करने की शक्ति) के प्रावधान पर भरोसा किया है, जो विशेष रूप से साफ और स्पष्ट शब्दों में बताता है कि डिस्कॉम को केवल आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क/व्यय वसूलने की ही अनुमति है;

4.2) कि प्रत्यर्थीगण के दिनांक 14.07.2004 और 09.07.2007 के आदेश/परिपत्र, जिसके आधार पर शुल्क लगाया गया है, का न तो कोई वैधानिक आधार था और न ही उन्हें कभी सूचित किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि वे आंतरिक परिपत्र थे जिनका कानून में कोई अधिकार नहीं था और उन्हें किसी भी उपभोक्ता पर बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता था। इस संबंध में निर्भरता सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णयों पर रखी गई है, जो इस प्रकार हैं: **पश्चिम बनाम बंगाल सरकार एवं अन्य बनाम विष्णुनारायण एंड एसोसिएट्स (पी) लिमिटेड एवं अन्य: (2002) 4 एससीसी 134, बिशन दास एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य: एआईआर 1961 एससी 1570, हरला बनाम राजस्थान राज्य: एआईआर 1951 एससी 467**, और **पंजाब राज्य बनाम अमर सिंह हारुका: एआईआर 1966 एससी 1313;**

4.3) कि आरईआरसी ने 09.08.2017 को राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड और उससे जुडे मामले) विनियम 2004 (संक्षेप में "आपूर्ति कोड-2004") में

संशोधन किया। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत आपूर्ति कोड और उससे जुड़े मामले) (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2017 (संक्षेप में "संशोधित विनियम") देखें और उसके बाद ही रूपांतरण हानि और ट्रांसफार्मर की आनुपातिक लागत के शुल्क को अनुमोदन/मंजूरी दी गई। हालाँकि, उक्त संशोधन प्रकृति में भविष्यलक्षी है और याचिकाकर्ता-उपभोक्ता के निहित अधिकार को छीनने के लिए इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। यह बताया गया है कि संपन्न लेनदेन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए अधीनस्थ कानून न तो बनाया जा सकता है और न ही पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। इस संबंध में **जिला प्रदर्शक संघ, मुजफ्फरनगर एवं अन्य बनाम भारत संघ (यूओआई) और अन्यः (1991) 3 एससीसी 119**, और **बकुल काजू कंपनी एवं अन्य बनाम बिक्री कर अधिकारी क्विलोन एवं अन्यः (1986) 2 एससीसी 365** में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया गया है।

4.4) कि ईओ अपने पहले के आदेशों (ईओआर 76/2013, ईओआर 77/2013, ईओआर 147/2014 और ईओआर 148/2014 में) का पालन करने में विफल रहा, जिसमें यह विशेष रूप से माना गया था कि अधिरोपित लेवी कानून के अधिकार के बिना थी। यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में, ईओ ने विशिष्ट और गलत आधार पर ईओ के पिछले आदेशों का पालन न करने को उचित ठहराने की मांग की है कि प्रश्न में विनियमन बाद में संशोधित किया गया था, जबकि संशोधित नियम कड़ाई से प्रकृति में भविष्यलक्षी थे;

4.5) कि "बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ-2004" के तहत टैरिफ अनुसूची एलपी/एचटी-5 में निहित 'टिप्पण' पर निर्भरता भी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि कम वोल्टेज के लिए मीटरिंग उपकरण स्थापित नहीं किया गया है;

4.6) कि 11 केवी आपूर्ति पर सीडी को दो बार बढ़ाया गया था, पहली बार दिनांक 06.10.2005 की मंजूरी द्वारा 5700 केवीए से 7500 केवीए तक और फिर दिनांक 18.02.2009 की मंजूरी द्वारा 7500 केवीए से 8000 केवीए तक। हालाँकि, इन मंजूरियों में परिवर्तन हानि के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था;

4.7) कि आनुपातिक ट्रांसफार्मर लागत की आपेक्षित वसूली पूरी तरह से अवैध है क्योंकि ट्रांसफार्मर की लागत पहले से ही 'संयंत्र लागत' में शामिल है और इसलिए इसे फिर से

प्रभारित करने का अर्थ एक ही वस्तु पर दोबारा लेवी होगा;

4.8) कि याचिकाकर्ता-उपभोक्ता ने कभी भी किसी विशेष क्षेत्र में आपूर्ति की मांग नहीं की और वह बढ़ी हुई सीडी को समायोजित करने के लिए आवश्यक अवसंरचना को विकसित करने के लिए हमेशा इच्छुक था, लेकिन यह प्रत्यर्थी-डिस्कॉम था जो अव्यवहार्यता और अव्यवहार्यता के मुद्दे पर इसे प्राप्त करने के साधन प्रदान करने में असमर्थ था।

प्रत्यर्थीगण की प्रस्तुतियां

5. *इसके विपरीत,* आक्षेपित आदेश (आदेशों) में विशेषज्ञ निकायों द्वारा निकाले गए समवर्ती निष्कर्षों के समर्थन में, प्रत्यर्थी-डिस्कॉम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दृढ़तापूर्वक यह तर्क दिया गया है कि लोकपाल द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं है और न ही इसमें कोई दुर्बलता मौजूद है और उसके अभाव में, वर्तमान रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और याचिकाकर्ता-उपभोक्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय से किसी भी राहत का हकदार नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य अन्वेषण, जैसा कि विद्वान लोकपाल द्वारा पुष्टि की गई है, को किसी भी विकृति के अभाव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रभावित नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी-डिस्कॉम के विद्वान वकील की अतिरिक्त दलीलें इस प्रकार हैं:

5.1) यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता-उपभोक्ता को समय-समय पर निर्धारित वोल्टेज स्तर के बारे में सूचित किया गया था और याचिकाकर्ता-उपभोक्ता को उनकी सीडी की पात्र आपूर्ति वोल्टेज के बारे में अच्छी तरह से पता था और उनके पत्र दिनांक 27.07.2005 (अनुबंध आर-2) का अवलोकन करना मात्र ही इसे निर्णायक रूप से स्थापित करेगा।

5.2) यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता-उपभोक्ता के पास 5000 केवीए से ऊपर की सीडी थी जिसके लिए निर्धारित वोल्टेज 132 केवी है, लेकिन याचिकाकर्ता को 11 केवी या 33 केवी के निर्धारित वोल्टेज से कम पर आपूर्ति प्राप्त हो रही थी। टीसीओएस-2004 के अनुसार, 5000 केवीए से अधिक सीडी के लिए आपूर्ति वोल्टेज 132 केवी है। हालाँकि, टीसीओएस-2004 के खंड 2 टिप्पण (V) के अनुसार, डिस्कॉम आपवादिक परिस्थितियों में उपभोक्ता को एक चरण अधिक या कम वोल्टेज स्तर पर आपूर्ति की अनुमति दे सकता है। याचिकाकर्ता-उपभोक्ता के दिनांक 05.02.2010 के अनुरोध पर विचार करने के बाद,

प्रत्यर्थी-डिस्कॉम ने 33 केवी वोल्टेज स्तर (निर्धारित आपूर्ति वोल्टेज से एक कम) पर अनुबंध मांग को 8,000 केवीए से 10,000 केवीए तक बढ़ाने की अनुमति दी। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि याचिकाकर्ता-उपभोक्ता ने 33 केवी आपूर्ति वोल्टेज पर मांग को 8,000 केवीए से 10,000 केवीए तक बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया था क्योंकि यदि याचिकाकर्ता-उपभोक्ता को 132 केवी स्तर पर आपूर्ति की अनुमति दी गई होती, तो उन्हें 132 की लागत और 132 केवी स्विचयार्ड के साथ 132 केवी/11 केवी ट्रांसफार्मर की केबल और लागत वहन करनी होती। इसके अलावा उन्हें 132 केवी स्विचयार्ड के लिए करीब 3000 वर्ग मीटर जगह भी छोड़नी पड़ी। चूंकि सीडी को याचिकाकर्ता-ग्राहक के अनुरोध पर बढ़ाया गया था, इसलिए ईएचवी ट्रांसफार्मर की आनुपातिक लागत दिनांक 14.07.2004 और 09.07.07 के आदेशों के अनुपालन में उनसे ली गई थी, जो टीसीओएस-2004 के अनुसार वास्तव में लागू वोल्टेज की तुलना में कम वोल्टेज स्तर पर आपूर्ति की अनुमति देने के प्रावधानों का वर्णन करने के प्रयोजनार्थ बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ के प्रावधान-2004 के संदर्भ में जारी किए गए थे। चूंकि 10,000 केवीए के लिए आपूर्ति वोल्टेज 132 केवी है और मीटरिंग कम वोल्टेज पक्ष (33 केवी) पर की जा रही है, इसलिए याचिकाकर्ता-उपभोक्ता से 3% की दर से रूपांतरण हानि वसूल की जाएगी।

5.3) आगे यह भी कहा गया है कि प्रत्येक उपभोक्ता के लिए लोड श्रेणी के अनुसार कुछ वोल्टेज स्तर निर्धारित करने के पीछे तर्क यह है कि लाइन लॉस के रूप में बिजली की बर्बादी/हानि होती है जो किसी भी संचालन सामग्री/तार के माध्यम से एक बिंदु से दूसरे तक कुछ बिजली पहुंचाने के मार्ग में होती है। संकेन्द्रित भार वाले बड़े उपभोक्ताओं के मामले में, बिजली की आपूर्ति किसी भी वोल्टेज स्तर पर की जा सकती है, लेकिन यदि कम वोल्टेज पर आपूर्ति की जाती है, तो लाइन लॉस उस स्थिति में तेजी से बढ़ जाएगा, यदि बिजली की आपूर्ति उच्च वोल्टेज पर दी जाती है, तो नुकसान का वहन कौन करेगा, क्योंकि यह बिजली का राष्ट्रीय नुकसान है।

5.4) वर्ष 2003 के अधिनियम के अनुसार, विद्युत विनियामक आयोग लाइसेंसधारी द्वारा वसूले जाने वाले शुल्क और टैरिफ को निर्दिष्ट करने के लिए अधिकृत है और लाइसेंसधारी इसके विपरीत शुल्क/टैरिफ की वसूली नहीं कर सकता है। लेकिन कभी-कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि कुछ मामलों के लिए नियम मौन हो जाते हैं, जैसा कि इस मामले में था। इसे लागू करने और दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए,

डिस्कॉम द्वारा वाणिज्यिक परिपत्र जारी किए जाते हैं। संशोधित विनियमन द्वारा, ट्रांसफार्मर की आनुपातिक लागत और रूपांतरण हानियों को प्रभारित करने के लिए कानून का आशय समान है, अर्थात आपूर्ति कोड में संशोधन से पहले, वाणिज्यिक परिपत्रों के आधार पर डिस्कॉम केवल अधिक मांग के लिए पात्र वोल्टेज पावर ट्रांसफार्मर की आनुपातिक लागत और कुल मांग से अधिक मांग के अनुपात में खपत पर 3% की दर से रूपांतरण हानि की वसूली कर रहे थे। 2017 के बाद, आपूर्ति कोड में संशोधन के माध्यम से, अधिक कठोर शर्तें निर्दिष्ट की गईं और इसे आयोग द्वारा संपूर्ण मांग और रूपांतरण के लिए आनुपातिक आधार पर एचवी/ईएचवी ट्रांसफार्मर की लागत और खपत पर 3% की दर से लाइन हानि की वसूली के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत किया गया था।

5.5) आगे यह भी कहा गया है कि यह कहना गलत है कि दिनांक 14.07.2004 और 09.07.2007 के परिपत्रों/आदेशों को कोई वैधानिक समर्थन नहीं है क्योंकि उन परिपत्रों का आधार 'टिप्पण' था जो 'टैरिफ संरचना भाग-II' की '(V) 'वृहद औद्योगिक सेवाएँ' (अनुसूची एलपी/एचटी-5) में अपना स्थान पाता है जो "बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ-2004" में एच.टी. टैरिफ से संबंधित है। उक्त टिप्पण को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "(घ) न्यूनतम बिलिंग:
>
> ...
>
> *टिप्पणी:*
>
> *जयपुर डिस्कॉम अपने विवेक पर, उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के कम वोल्टेज वाले हिस्से पर मीटरिंग उपकरण प्रदान कर सकता है और ऐसे मामले में परिवर्तन घाटे को कवर करने के लिए दर्ज ऊर्जा खपत और मांग में 3% (तीन प्रतिशत) जोड़ा जाएगा।*

उपरोक्त पर भरोसा करते हुए, प्रत्यर्थी-डिस्कॉम के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि याचिकाकर्ता-उपभोक्ता को कम वोल्टेज पर आपूर्ति प्राप्त हो रही थी, इसलिए, उपरोक्त नोट को प्रभावी बनाने के लिए, परिपत्र दिनांक 14.07.2004 और 09.07.2007 जारी किए गए थे। और प्रत्यर्थी-डिस्कॉम ने परिवर्तन घाटे को कवर करने के लिए सही तरीके से शुल्क उद्ग्रहित किया।

5.6) अंत में, यह कहा गया है कि चूंकि ईओ ने रिकॉर्ड पर पूरे साक्ष्य पर विचार किया, और विशेषज्ञ निकाय होने के नाते यह माना कि परिवर्तन के नुकसान को कवर करने के

लिए लेवी वैध और कानूनी थी, इसलिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईओ के आदेश में कोई विकृति नहीं है।

विश्लेषण

6. दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया, रिट याचिका के रिकॉर्ड को स्कैन किया गया और अधिवक्ता परिषद में उद्धृत निर्णयों पर विचार किया गया।

7. मामले के गुणागुण पर कार्यवाही से पहले, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस न्यायालय की डिवीजन बेंच ने **खंडपीठ विशेष अपील (रिट) संख्या 800/2022 जिसका शीर्षक 'जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बनाम विद्युत लोकपाल एवं अन्य' है**; में 07.09.2022 को निर्णय लिया गया (तटस्थ उद्धरण: 2022/आरजेजेपी/002289)। यह निर्णय लिया है कि लोकपाल के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य है।

8. सीमित मुद्दा जो इस न्यायालय द्वारा तय किया जाना है वह यह है कि रूपांतरण हानि और आनुपातिक ट्रांसफार्मर लागत का उद्ग्रहण और वसूली वैध थी या नहीं।

9. याचिकाकर्ता-उपभोक्ता ने स्वीकार किया कि वह 'बड़े औद्योगिक' उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, जिसके पास 5000 केवीए से ऊपर की सीडी थी और जिसके लिए निर्धारित वोल्टेज आपूर्ति ईएचटी 132 केवी या 220 केवी थी। हालाँकि, याचिकाकर्ता को उक्त आपूर्ति प्रासंगिक समय पर 11 केवी या 33 केवी पर की गई थी। एक स्तर कम या एक स्तर अधिक पर आपूर्ति केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्वीकार्य है। चूंकि यदि वाक्यांश 'असाधारण परिस्थितियों' का उपयोग किया जाता है, इसका अर्थ यह होना चाहिए कि आपूर्ति वोल्टेज में परिवर्तन नियमित रूप से नहीं किया जाना चाहिए और यह भी जरूरी है कि आपूर्ति वोल्टेज में परिवर्तन केवल अतिरिक्त शर्तों और स्थितियाँ की संतुष्टि पर ही स्वीकार्य होगा क्योंकि यदि ऐसे उपभोक्ताओं पर कुछ अतिरिक्त शर्तें नहीं लगाई जाती हैं, जैसा कि ईओ ने ठीक ही कहा है, तो कोई भी आवश्यक उच्च वोल्टेज स्तर की आपूर्ति की अवसंरचना को बनाने के लिए भारी लागत क्यों उठाएगा और किसी न किसी बहाने से हर कोई कम वोल्टेज पर आपूर्ति का लाभ उठाने का प्रयास करेगा। उस स्थिति में, ऊर्जा की हानि के अलावा, डिस्कॉम को ऐसे उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त अवसंरचना/सुविधा तैयार करनी होगी और इसकी लागत टैरिफ में दिखाई देगी और अन्य सभी बिजली

उपभोक्ताओं को यह बोझ अपने बिजली बिलों में वहन करना होगा। हालाँकि, लगाई गई शर्तें मनमाने ढंग से और वैधानिक समर्थन के बिना नहीं होनी चाहिए तथा इन्हें उपयुक्त आयोग द्वारा अनुमोदित शुल्क और टैरिफ के अनुरूप भी होना चाहिए।

10. मौजूदा मामले में, ऐसी शर्तें दिनांक 14.07.2004 और 09.07.2007 के आदेश/परिपत्र में निर्दिष्ट की गई थीं। दिनांक 14.07.2004 के आदेश/परिपत्र में, जिसे राजस्थान सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र की कंपनियों यानी आरआरवीपीएन, आरआरयूएन, डिस्कॉम के लिए गठित समन्वय समिति के अनुमोदन से जारी किया गया था, उन उपभोक्ताओं के लिए कुछ शर्तें निर्दिष्ट की गईं जिनकी अनुबंध मांग 5000 केवीए से कम थी और आपूर्ति 33 केवी आपूर्ति वोल्टेज पर थी, लेकिन बाद में मौजूदा 33 केवी आपूर्ति वोल्टेज पर 5000 केवीए से अधिक की अनुबंध मांग के विस्तार के लिए जोर दिया गया। ये शर्तें थीं:

(i) बढ़ी हुई अनुबंध मांग को पूरा करने के लिए उपभोक्ता को मौजूदा 33 केवी लाइन को सुदृढ़ बनाने की लागत, यदि कोई हो, वहन करनी होगी।

(ii) उपभोक्ता को 5 एमवीए से ऊपर की अनुबंध मांग के लिए ईएचवी ट्रांसफार्मर की आनुपातिक लागत वहन करनी होगी।

(iii) उपभोक्ता को 5 एमवीए से ऊपर एमवीए के अनुरूप खपत के अनुपात के लिए दर्ज खपत के 3% की दर से रूपांतरण हानि भी वहन करनी होगी।

(iv) 33 केवी पर आपूर्ति लेने के लिए उपभोक्ताओं को बिल राशि के 0.75% की दर से वोल्टेज छूट की अनुमति दी जाएगी।

बाद में आदेश/परिपत्र दिनांक 09.07.2007 को उन उपभोक्ताओं के लिए जारी किया गया जिनकी अनुबंध मांग 1500 केवीए से कम थी और आपूर्ति 11 केवी वोल्टेज पर थी, लेकिन जो समान शर्तों के साथ 11 केवी आपूर्ति वोल्टेज पर 1500 केवीए से ऊपर अनुबंध मांग को बढ़ाने पर जोर दे रहे थे।

11. ईओ ने इन परिपत्रों की आवश्यकता और उनमें लगाई गई शर्तों पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि:

> *"इस मामले में अपीलकर्ता ने 132/33/11 केवी ट्रांसफार्मर और संबद्ध अवसंरचना को स्थापित नहीं किया था और आपूर्ति को 11 केवी दो चरण*

कम वोल्टेज पर अनुमति दी गई थी और 11 केवी वोल्टेज आपूर्ति पर मीटरिंग की गई थी और 132 केवी वोल्टेज के परिवर्तन में रूपांतरण हानि हुई थी। अपीलकर्ता के मीटर में 11 केवी वोल्टेज को हिसाब में नहीं लिया गया क्योंकि मीटरिंग कम वोल्टेज पर की गई थी। ***इसका मतलब यह है कि इन रूपांतरण हानियों का वहन डिस्कॉम और बड़े पैमाने पर जनता द्वारा किया गया था।***

उपरोक्त से यह पता चलता है कि आपूर्ति संहिता और संसक्त विषय, विनियम, 2004 के अनुसार असाधारण परिस्थितियों में किसी उपभोक्ता को उसकी पात्रता से एक स्तर कम वोल्टेज पर आपूर्ति दी जा सकती है। उस मामले में, तार्किक रूप से, आपूर्ति कोड विनियमों में संशोधन से पहले और उसके बाद संशोधित विनियमों के अनुसार उसे वाणिज्यिक परिपत्र जेपीआर 5-214 दिनांक 14.07.2004 और जेपीआर 5-404 दिनांक 09.07.2007 में निर्धारित टैरिफ और शर्तों में निर्दिष्ट टिप्पण के अनुसार आनुपातिक आधार पर एचवी/ईएचवी ट्रांसफार्मर की लागत और 3% की दर से रूपांतरण हानि वहन करनी होगी।

ईओ ने उचित विचार-विमर्श के बाद, रूपांतरण घाटे का अपना निष्कर्ष दिया। रूपांतरण हानि का मुद्दा अनिवार्य रूप से तथ्य की खोज है, जिसे विशेषज्ञ निकाय-ईओ द्वारा तय किया गया है, और ऐसी तथ्यात्मक खोज इस न्यायालय पर भी बाध्यकारी है।

यदि कम वोल्टेज आपूर्ति लाइन पर अतिरिक्त भार जारी किया जा रहा है, तो लाइन हानि के लिए अनंतिम रूप से अतिरिक्त भुगतान की मांग करना मनमाना या अवैध नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता-उपभोक्ता को अपना बोझ दूसरों के कंधे पर डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसलिए, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि दिनांक 14.07.2004 और 09.07.2007 के आदेश/परिपत्र में उल्लिखित शर्तें मनमानी हैं, विशेष रूप से यह देखते हुए कि ऐसी शर्तों को बाद में उपयुक्त आयोग द्वारा संशोधित विनियमों में भी शामिल किया गया है।

12. अगला प्रश्न जो तय किया जाना है वह यह है कि क्या दिनांक 14.07.2004 और 09.07.2007 के आदेश/परिपत्रों को कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त था, जो उन्हें कानून में लागू करने योग्य बनाता है? इसका उत्तर देने के लिए, हमें 2003 के अधिनियम की धारा 62 और धारा 64 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत आरईआरसी द्वारा जारी 'बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ-2004' का सहारा लेना चाहिए, विशेष रूप से खंड (V) के तहत टैरिफ संरचना भाग-II (एच.टी. टैरिफ) में निहित टिप्पण, जो बड़ी औद्योगिक सेवाओं

(अनुसूची एलपी/एचटी-5) से संबंधित है, जो प्रावधान करता है कि यदि मीटरिंग उपकरण उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के कम वोल्टेज पक्ष पर है, तो रूपांतरण हानियों को कवर करने के लिए दर्ज ऊर्जा खपत और मांग में 3% जोड़ा जाएगा। दोहराव की कीमत के संबंध में, उक्त टिप्पण को फिर से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> *"जयपुर डिस्कॉम अपने विवेक पर, उपभोक्ता के ट्रांसफार्मर के कम वोल्टेज वाले हिस्से पर मीटरिंग उपकरण प्रदान कर सकता है और ऐसे मामले में परिवर्तन घाटे को कवर करने के लिए दर्ज ऊर्जा खपत और मांग में 3% (तीन प्रतिशत) जोड़ा जाएगा।"*

इस संबंध में भी, ईओ ने, विशेषज्ञ निकाय होने के नाते, निम्नानुसार निर्णय किया:

> *"अपीलकर्ता ने अपने तर्क में कहा है कि बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ-2004 के अनुसार रूपांतरण हानि के लिए अतिरिक्त शुल्क केवल तभी लगाया जाना चाहिए जब मीटरिंग उपकरण कम वोल्टेज की साइड स्थापित हो, जबकि आपूर्ति उच्च वोल्टेज पर हो। यदि फिर भी प्रत्यर्थी किसी कारण से एचटी साइड पर मीटर स्थापित करने में असमर्थ है, तो ट्रांसफार्मर के एलटी साइड पर मीटर स्थापित किया जाता है। इस स्थिति में बिलिंग प्रक्रिया में कुछ बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि एलटी मीटर द्वारा दर्ज की गई रीडिंग एचटी साइड पर मीटर स्थापित होने की स्थिति में होने वाली रीडिंग से कम है। यह अंतर या मार्जिन जो आम तौर पर 3% (लगभग) होता है, परिवर्तन हानि का आधार बनता है।*
>
> *उपरोक्त के अनुसार अपीलकर्ता ने स्वीकार किया है कि यदि उपभोक्ता द्वारा स्थापित ट्रांसफार्मर के कम वोल्टेज वाले हिस्से पर मीटर स्थापित किया जाता है तो 3% परिवर्तन हानि लागू होती है, लेकिन अपीलकर्ता के मामले में उन्होंने अपनी पात्रता के अनुसार आवश्यक 132/11 केवी ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं किया है।* ***यदि आवश्यक रेटिंग ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया होता तो ट्रांसफार्मर का उच्च वोल्टेज पक्ष 132 केवी वोल्टेज होता और ट्रांसफार्मर का निम्न वोल्टेज पक्ष 11 केवी वोल्टेज होगा। उनके मामले में आपूर्ति को कम वोल्टेज 11 केवी पर अनुमति दी गई थी और इस प्रकार परिवर्तन हानि और ट्रांसफार्मर की लागत अपीलकर्ता द्वारा वहन की जानी थी। इसे दो समान स्थिति वाले उपभोक्ताओं की तुलना से देखा जा सकता है। एक उपभोक्ता ने अपनी पात्रता के अनुसार 132 केवी आपूर्ति वोल्टेज पर 10,000 केवीए का कनेक्शन लिया है और अपने परिसर/कार्यस्थल पर 132/11 केवी ट्रांसफार्मर स्थापित किया है। किसी कारण से ट्रांसफार्मर के 11 केवी साइड पर मीटरिंग प्रदान की गई थी, उस स्थिति में उसे 3% की दर से परिवर्तन हानि सहन करनी होगी। एक अन्य उपभोक्ता ने आवश्यक***

ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं किया और 11 केवी आपूर्ति वोल्टेज पर 10,000 केवीए का कनेक्शन ले लिया है। इस मामले में भी 11 केवी वोल्टेज पर मीटरिंग प्रदान की गई है, लेकिन यह उपभोक्ता विरोध कर रहा है कि उसे 11 केवी एचटी आपूर्ति मिल रही है और मीटरिंग भी 11 केवी पर है, इसलिए उसके मामले में परिवर्तन हानि लागू नहीं होती है। पहला उपभोक्ता जिसने ईएचटी आपूर्ति लेने में भारी खर्च किया है, वह रूपांतरण हानि को वहन करेगा और दूसरा उपभोक्ता जिसने ईएचवी अवसंचरना को स्थापित नहीं करके लागत बचाई है, यह कह रहा है कि ये शुल्क उस पर लागू नहीं हैं, यह तर्कसंगत नहीं है।

अपीलकर्ता ने कहा कि विद्युत अधिनियम की धारा 43 और आपूर्ति कोड विनियमों के अनुपालन में, प्रत्यर्थी केवल आपूर्ति कोड विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट खर्चों का शुल्क ले सकता है, उससे अधिक नहीं। अपीलकर्ता का कथन सही होता यदि अपीलकर्ता ने अपनी पात्रता के अनुसार कनेक्शन लिया होता अर्थात 132केवी वोल्टेज पर आपूर्ति की होती। एक तरफ उसने 132 केवी वोल्टेज पर आपूर्ति लेने के लिए आवश्यक अवसंरचना का निर्माण नहीं किया और लागत के साथ-साथ रूपांतरण हानि को भी बचाया और दूसरी तरफ वह प्रत्यर्थी द्वारा उनके लिए बनाई गई अवसंरचना के लिए कुछ भी भुगतान नहीं करना चाहता था।

अपीलकर्ता ने कहा कि परिवर्तन हानियों के संबंध में शुल्क लगाने के लिए *प्रत्यर्थी द्वारा जेपीआर 5-214 क्रमांक जीपीडी/डि.सीई (सीएंडपी)/एक्सईएन/सी.आई./एफ.*.4(210)/भागV/डी.745 द्वारा जारी दिनांक 14.07.2004 का आदेश इस मामले में लागू नहीं है क्योंकि यह आदेश उन उपभोक्ताओं के लिए है जिनकी अनुबंध मांग 33केवी आपूर्ति वोल्टेज पर 5000 केवीए से अधिक है, *लेकिन उनके मामले में उनकी आपूर्ति वोल्टेज 11 केवी पर है और यह कि उनकी अनुबंध मांग हमेशा 5000 केवीए से ऊपर रहती है मान्य नहीं है। अपीलकर्ता की पात्रता 132 केवी आपूर्ति के लिए थी और वह बहुत कम वोल्टेज 11केवी पर आपूर्ति का उपयोग कर रहा था और ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी को समान अनुबंध मांग वाले और 33केवी वोल्टेज स्तर पर आपूर्ति का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की तुलना में अधिक रूपांतरण हाइन उठानी पडती है। यह उचित नहीं है कि कुछ उपभोक्ता जिनकी समान अनुबंध मांग 5000 केवीए से ऊपर है और वे 33केवी वोल्टेज पर आपूर्ति का उपयोग कर रहे हैं, वे रूपांतरण हानि और ट्रांसफार्मर की आनुपातिक लागत का भुगतान करेंगे, लेकिन जो 5000 केवीए से ऊपर समान अनुबंध मांग के साथ 11केवी वोल्टेज पर आपूर्ति का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें ट्रांसफॉर्मर की*

रूपांतरण हानि और आनुपातिक लागत का भुगतान नहीं करना होगा। जिसके लिए लाइसेंसधारी को अधिक नुकसान और ट्रांसफार्मर की लागत वहन करनी होती है। यदि अपीलकर्ता ने अपनी पात्रता के अनुसार वोल्टेज स्तर पर कनेक्शन लिया होता तो लगाए गए/वसूली किए गए शुल्क अवैध होते, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में उनके अनुरोध पर उन्हें कम वोल्टेज पर आपूर्ति का उपयोग करने की अनुमति दी गई थी, फिर उन्हें इसके लिए वाणिज्यिक परिपत्र जेपीआर 5-214 दिनांक 14.07.2004 में निर्धारित शर्तों को पूरा करना होगा। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 14.07.2004 के परिपत्र के अनुसार ट्रांसफार्मर की आनुपातिक लागत और रूपांतरण हानियों का अपीलकर्ता द्वारा भुगतान किया जाना है।

प्रत्यर्थी ने वाणिज्यिक परिपत्र जीपीआर 5-214 दिनांक 14.07.2004 के अनुसार आपूर्ति कोड विनियमों में संशोधन तक और उसके बाद संशोधित विनियमों के अनुसार अधिक मांग के लिए ईएचवी ट्रांसफार्मर की आनुपातिक लागत की वसूली की है और परिवर्तन हानि की वसूली/डेबिट की है। ट्रांसफार्मर की आनुपातिक लागत की वापसी और परिवर्तन के नुकसान की वापसी/वसूली रोकने के लिए अपीलकर्ता का तर्क स्वीकार्य नहीं है।

यहां फिर से, ईओ ने इस तथ्य पर अपना निष्कर्ष दिया है कि याचिकाकर्ता-उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए गए सेटअप के परिणामस्वरूप होने वाली रूपांतरण हानि के कारण भारी रूपांतरण हानि हो रही थी, जिसे डिस्कॉम के पास खंड (V) के तहत टैरिफ संरचना भाग-II (एच.टी. टैरिफ) में निहित टिप्पण के अनुसार, जो 'बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ-2004' की बड़ी औद्योगिक सेवाओं (अनुसूची एलपी/एचटी-5) से संबंधित है, रिकॉर्ड की गई ऊर्जा खपत का 3% जोड़कर पुनर्प्राप्त करने का अधिकार था।

13. दिनांक 14.07.2004 और 09.07.2007 के आदेश/परिपत्रों और संशोधित विनियमों के साथ 'बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ-2004' में निहित उपरोक्त टिप्पण को संयुक्त रूप से पढ़ने पर, एकमात्र तार्किक निष्कर्ष जो निकाला जा सकता है, वह यह है कि आदेश/परिपत्र दिनांक 14.07.2004 और 09.07.2007 प्रशासनिक परिपत्र हैं जिन्हें 'बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ-2004'' के तहत बड़ी औद्योगिक सेवाओं के लिए टैरिफ अनुसूची (अनुसूची एलपी/एचटी-5) के टिप्पण के प्रावधान को पूर्ण प्रभाव देने के लिए लागू किया गया है। यहां ऐसा मामला नहीं है कि डिस्कॉम उन परिपत्रों के आधार पर शुल्क लगा रही है जो उपयुक्त आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं हैं, बल्कि परिपत्र केवल प्रकृति

में स्पष्ट हैं और वास्तव में, लगाया गया शुल्क बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ-2004 में निहित नोट पर आधारित है, जो 2003 के अधिनियम की धारा 62 और 64 के तहत उपयुक्त आयोग द्वारा पारित किया गया है और कानूनी रूप से लागू करने योग्य है। उपरोक्त के अलावा, 'बिजली की आपूर्ति के लिए नियम और शर्तें-2004' का खंड संख्या 39 (क) (2) भी उल्लेखनीय है जो डिस्कॉम को किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप आवश्यक लोड/मांग में वृद्धि या कमी के कारण होने वाली किसी भी लागत, डिस्कॉम के सब-स्टेशन की लागत को छोड़कर, को उपभोक्ता से वसूलने की अनुमति देता है। 'बिजली की आपूर्ति के लिए नियम और शर्तें-2004' के उक्त खंड 39(क)(2) को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> *"39. भार/माँग में वृद्धि, कमी एवं परिवर्तन*
>
> *(क) सामान्य*
>
> *(1)...*
>
> *(2) कनेक्टेड लोड/मांग में वृद्धि के मामले में, निगम उपभोक्ता से उचित व्यय का भुगतान करने की मांग कर सकता है जिसे वह सेवा के चरित्र और उपभोक्ता की श्रेणी के लिए अनुसूची के तहत ऐसे लोड/मांग के लिए वसूलने के लिए अधिकृत है।*
>
> *भार/क्षति में वृद्धि या कमी के फलस्वरूप आवश्यक किसी भी परिवर्तन के कारण निगम द्वारा की गई कोई भी लागत निगम के सब-स्टेशन की लागत को छोड़कर उपभोक्ता द्वारा वहन की जाएगी।*

14. याचिकाकर्ता-उपभोक्ता का यह तर्क कि ईओ ने 2017 में लागू संशोधित विनियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया है, भी सही नहीं है। ईओ ने इस विषय पर पहले के आदेश को अलग करने के लिए संशोधित विनियमों को केवल एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया। लेवी और वसूली दिनांक 14.07.2004 और 09.07.2007 के आदेशों/परिपत्रों के आधार पर की गई थी, जो कि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रकृति में स्पष्टीकरणपूर्ण थे और 'बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ-2004' में निहित टिप्पण को प्रभावी करने के लिए जारी किए गए थे।

15. याचिकाकर्ता-उपभोक्ता का यह तर्क कि उन्होंने कभी भी किसी विशेष लाइन पर आपूर्ति की मांग नहीं की और वह अवसंरचना को विकसित करने के लिए तैयार था, भी रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के विपरीत है। याचिकाकर्ता-उपभोक्ता को 132केवी लाइन पर आपूर्ति लेने के लिए अवसंरचना विकसित करने का विकल्प दिया गया था। हालाँकि, आवश्यक

अवसंरचना को विकसित करने में याचिकाकर्ता-उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली भारी लागत को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता-उपभोक्ता ने अपने पत्र दिनांक 05.02.2010 के माध्यम से उक्त अवसंरचना को विकसित नहीं करने का फैसला किया। अवसंरचना का विकास न करके, याचिकाकर्ता-उपभोक्ता के पास दो विकल्प थे; या तो वह संलग्न शर्तों के साथ निचले स्तर पर उन्नत सीडी की आपूर्ति का अनुरोध करे और उसे स्वीकार करें या उन्नत सीडी के लिए अनुरोध न करें। याचिकाकर्ता-उपभोक्ता ने जानबूझकर निचले स्तर पर आपूर्ति स्वीकार की। निचले स्तर पर आपूर्ति प्राप्त करने के विकल्प का लाभ उठाने के बाद और आवश्यक अवसंरचना की लागत का लाभ उठाने के बाद, और अपने स्वयं के कार्यों का फल प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता-उपभोक्ता को भुगतान किए गए बकाया राशि की वापसी की मांग का विबंधन किया जाता है, भले ही इसके तहत भुगतान विरोधस्वरूप किया गया हो। ।

16. उपरोक्त विश्लेषण के मद्देनजर, इस न्यायालय की राय में, ईओ ने एक तर्कसंगत आदेश पारित किया है और भौतिक पहलुओं पर विचार करने के बाद एकमात्र तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। यह न्यायालय ईओ द्वारा अपनाए गए तर्क से पूरी तरह सहमत है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं है और ईओ के आदेश में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है। लागू किए गए आदेश से याचिकाकर्ता पर कोई पूर्वाग्रह नहीं पड़ता है, क्योंकि याचिकाकर्ता, एक बड़े पैमाने का उद्योग होने के नाते, अपने उपभोक्ताओं पर बोझ डाल रहा होगा और ईओ के आदेश में हस्तक्षेप करने का परिणाम अनिवार्य रूप से याचिकाकर्ता को अन्यायपूर्ण लाभ प्राप्त करने के समान होगा।

परिणाम

17. तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है। लंबित आवेदन(आवेदनों), यदि कोई हो, का भी निपटारा कर दिया गया है।

(समीर जैन), न्यायमूर्ति

RAGHU/JKR/70

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।